6

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **विविध अवमानना प्रार्थना–पत्र संख्या 46/2019** **श्रीमती सोहन कंवर बनाम तहसीलदार शेरगढ**
23.02.2021	पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि ग्राम केतुमदा तहसील शेरगढ जिला जोधपुर में प्रार्थिनी की खातेदारी की खेत खसरा नं0 233, 261, 132, 136, 137, 170, 215, 176, 278, 239, 232 की भूमि कुल रकबा 450 बीघा 09 बिस्वा में से 1/4 हिस्से की डिक्री दिनांक 30.03.1996 को श्रीमान सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) जोधपुर के मुकदमा संख्या 236/88 सोहनकंवर बनाम बुलीदानसिंह के नाम से डिक्री प्रार्थिनी के पक्ष में 112 बीघा 12 बिस्वा की खातेदारी घोषित हो गई थी। जिसकी पालना कराया जाना न्यायहित में है। कार्यालय तहसीलदार सेखाला ने दिनांक 31.07.2020 को अपने पत्र क्रमांक/भू0अ0/2020/232 से अवगत कराया कि हल्का पटवारी केतुमदा से करायी गई रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थिनी सोहन कंवर पत्नी कल्याणसिंह की खातेदारी भूमि ग्राम विश्वकर्मानगर के खसरा नं0 270, 275, 276, 278 रकबा 124.13 बीघा ग्राम केतुमदा के खसरा नं0 231, 232, 233, 261 रकबा 123.07 बीघा ग्राम जेठूसिंहनगर के खसरा नं0 135, 136, 137, 134/1 रकबा 202.08 बीघा भूमि आई हुई है। वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थिनी सोहनकंवर पत्नी कल्याणसिंह का हिस्सा 1/6 है जिसके अनुसार कुल रकबा 450.09 बीघा में से 75.01 बीघा भूमि हिस्से में आती है जबकि 30.03.1996 को श्रीमान सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) जोधपुर के मुकदमा संख्या 236/88 सोहनकंवर बनाम बुलीदानसिंह के आदेशानुसार प्रार्थिनी के पक्ष में 1/4 हिस्सा (112.12 बीघा) की खातेदारी घोषित हुई थी। जमाबन्दी संवत् 2068–71 तक प्रार्थिनी का हिस्सा 1/4 ही था परन्तु सेग्रीगेशन कार्य के दौरान नवीन जमाबन्दी संवत् 2072–75 में प्रार्थिनी का हिस्सा 1/6 हो गया जो कम्प्यूटर फिडिंग करते समय त्रुटि हुई है। जिसे शुद्ध किया जाना उचित है। हमने अपीलान्ट अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। तहसीलदार सेखाला से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 30.03.1996 को सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) जोधपुर के मुकदमा संख्या 236/88 सोहनकंवर बनाम बुलीदानसिंह के आदेशानुसार प्रार्थिनी के पक्ष में 1/4 हिस्सा (112.12 बीघा) की खातेदारी घोषित हुई थी। जमाबन्दी संवत् 2068–71 तक प्रार्थिनी का हिस्सा 1/4 ही था परन्तु सेग्रीगेशन कार्य के दौरान नवीन जमाबन्दी संवत् 2072–75 में प्रार्थिनी का हिस्सा 1/6 हो गया जो कम्प्यूटर फिडिंग करते समय त्रुटि हुई है। जिसे शुद्ध किया जाना न्यायोचित है। अतः उपरोक्त त्रुटि को दुरुस्त करने की [illegible]नुसार करें। अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:58:10 IST
Reason: SelfAttested